भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वन शिक्षा निदेशालय
Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Directorate of Forest Education
डाकघर न्यू फौरेस्ट, देहरादून–248 006
P.O. New Forest, Dehra Dun-248 006
दूरभाष नं./Tel. No. 0135-2750127, 2757326, 2750125 Email: dfe-dehradun@gov.in

सं0 4–547/प्रशि0–।/वशिनि–2012/ 4602 –78 दिनॉक 22 मार्च, 2022

कार्यालय आदेश

वन शिक्षा निदेशालय अपनी अधीनस्थ केंद्रीय अकादमियों, कोयम्बटूर, देहरादून एवं बर्नीहाट के माध्यम से राज्य वन सेवा अधिकारियों को दो वर्षीय इंडक्शन प्रशिक्षण प्रदान करता है। वन शिक्षा निदेशक द्वारा भारत सरकार के "प्रवेश एवं प्रशिक्षण नियम (संशोधित), 2004 राज्य वन सेवा अधिकारियों के लिए" एवं पहले के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार **राज्य वन सेवा अधिकारियों के दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम** के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण की दरों को समय–समय पर निर्धारित की जाती हैं।

प्रशिक्षण व्यय की निम्नलिखित मदों को पिछली बार निम्नानुसार संशोधन किया गया था:–

कम संख्या	**विवरण**	**पिछली संशोधन की तिथि**
1	शिक्षा शुल्क रू0 1,00,000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण कोर्स के लिए	अगस्त, 2018
2	दौरा व्यय रू0 2,00,000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण कोर्स के लिए (महाविद्यालय में ज्वाईनिंग व लीविंग तथा छुट्टियों के दौरान यात्रा व्यय के अतिरिक्त)	अगस्त, 2018
3	उपकरण भत्ता रू0 70,000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण कोर्स के लिए	अगस्त, 2018
कुल	**रू0 3,70,000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी**	———

पिछले कुछ वर्षो से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार सभी उपयोगी वस्तुओं की लागत काफी हद तक बढ़ी हैं। मूल्यों तथा रखरखाव में वृद्वि को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण व्यय की मौजूदा दरों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि निधि की कमी के चलते राज्य वन सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण में कठिनाई उत्पन्न न हो।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा दिनांक 21 जून 2004 की अधिसूचना सं. 3–17/99–आर0 टी0(।) के अनुसार राज्य वन सेवा अधिकारियों के "प्रवेश एवं प्रशिक्षण नियम (संशोधित), 2004 के नियम संख्या 30 भाग IV में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अद्योहस्ताक्षरी केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून/कोयम्बटूर/बर्नीहाट में वानिकी के दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रायोजित होने वाले राज्य वन सेवा अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण शुल्क, दौरा व्यय, उपकरण भत्ते, संस्थसागत शुल्क, कॉशन मनी तथा मासिक वृत्ति (Stipend) की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

कम सं0	**विवरण**	**संशोधित दर प्रति राज्य वन सेवा अधिकारी प्रशिक्षणार्थी के लिए**	**टिप्पणी**
1	शिक्षा शुल्क प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण कोर्स के लिए	संशोधित दर रू0 1,50,000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी सम्पूर्ण प्रशिक्षण के लिये।	दिनांक 01.04.2022 के बाद से प्रारम्भ होने वाले 2022–2024 सत्र से प्रभावी होगा।
2	दौरा व्यय (महाविद्यालय में ज्वाईनिंग व लीविंग तथा छुट्टियों के दौरान यात्रा व्यय के अतिरिक्त)	रू0 3,10,000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी सम्पूर्ण प्रशिक्षण के लिये।	तदैव
3	उपकरण भत्ता प्रति प्रशिक्षणार्थी	रू0 1,00,000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी सम्पूर्ण प्रशिक्षण के लिये।	तदैव
4	संस्थागत शुल्क	रू0 50,000/– संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिये	तदैव
कुल		**रू0 6,10,000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी**	———

......2...

1. शिक्षण शुल्क, दौरा व्यय, उपकरण भत्ते, संस्थागत शुल्क की संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2022 के पश्चात् प्रारम्भ होने वाले राज्य वन सेवा के 2022–2024 बैच से प्रभावी होगी।
2. प्रशिक्षणार्थी द्वारा अकादमी में प्रवेश के समय रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) कॉशन मनी (रिफन्डेबल) जमा कराना आवश्यक है जो कि प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अकादमी द्वारा प्रशिक्षणार्थी को वापस किया जायेगा।
3. प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा दिये जाने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाये कि न्यूनतम वजीफा रू0 53,100/– (रू0 तिरेपन हजार एक सौ मात्र) प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह भुगतान किया जाये।
4. प्रशिक्षणार्थियों के भ्रमण के समय ठहरने तथा यात्रा व्यय सामान्यतः भारत सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार से अधिक नही होगा एवं भारत सरकार के अधिकारियों के समान लेवल/ग्रेड वेतन की पात्रता के अनुरूप होगें। फंड की कमी होने पर यात्रा के दोरान ठहरने का भत्ता पात्रता से कम किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश ज्यादा व्यय करने की आवश्यकता होती है तो यह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जाये।
5. संकाय सदस्यों एवं अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के लिये केवल शैक्षणिक दौरों के दौरान पात्रता के अनुसार वाहन/रेल एवं उड़ान के टिकट, होटल आवास को न्यूनतम संभव दरों पर प्रशिक्षण व्यय से वहन किया जाये।
6. दो वर्ष के इंडक्शन कोर्स की आवश्यक्ताओं को पूर्ण करने हेतु यदि ओ. सी. एस. शीर्ष में निधि की कमी होने पर आवश्यक्ता के आधार पर केवल समूह ग संवर्ग में रिक्तियो के कारण संविदा कर्मियों को संस्थागत शुल्क से भी भुगतान पर रखा जा सकता है।
7. अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के छात्रावास में ठहरने (दौरों, ओ.जी.टी. एवं टर्म ब्रेक की अवधि को छोड़कर) के दौरान बिजली, पानी, छात्रावास की सफाई की उपभोज्य वस्तुओं, आई0 टी0 संबंधित साम्रगी, अन्य प्रशिक्षण संबंधित व्यय इत्यादि को संस्थागत शुल्क से आनुपातिक रूप में भी वहन किया जा सकेगा।
8. अकादमी में प्रशिक्षण के लिये विशेष मॉडयूल हेतु व्याख्याताओं / वैज्ञानिकों के रिक्त पद के कारण संकाय सदस्य की सेवाओं की व्यवस्था संविदा के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत की जा सकती है जिसे संस्थागत शुल्क से वहन किया जा सकेगा।
9. सभी अकादमियों के प्रधानाचार्य उपर्युक्त विवरण के अनुसार व्यय का लेखा भारत सरकार के व्यय खातों के अनुरक्षण के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार तैयार करेगें तथा बैच के समापन की तिथि से तीन (03) महीनों के भीतर दौरा व्यय की शेष / मांग राशि, यदि कोई हो तो, प्रायोजित करने वाले राज्य/प्राधिकारी को लौटायेंगे अथवा मांग करेंगे।

(अंग्रेजी अनुवाद पिछले पृष्ठ पर)

वन शिक्षा निदेशक

मानक वितरण

1. सचिव (वन), समस्त राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सेना प्रमुख), समस्त राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश।
3. उप वन महानिदेशक (आरटी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली–110 003.
4. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून (उत्तराखंड)/कोयम्बटूर (तमिलनाडु)/बर्नीहाट (असम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।
5. इंचार्ज प्रधानाचार्य, केन्द्रीय अकादमी वन शिक्षा, कुर्सीयॉग (प0 बंगाल)।
6. गार्ड फाईल।